प्रेषक,

अर्थनियंत्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ0 वि0वि0,
कानपुर–2

सेवा में,

1– आयुक्त, कानपुर मण्डल एवं कुलपति — अध्यक्ष
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ0 वि0वि0,
कानपुर–2

2– प्रमुख सचिव वित्त, — सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ।

3– सचिव, उच्च शिक्षा, — सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ।

4– सचिव कृषि, — सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ।

5– निदेशक, पशुपालन, — सदस्य
उत्तर प्रदेश , लखनऊ।

6– निदेशक, कृषि, — सदस्य
उत्तर प्रदेश , लखनऊ।

7– डा0 आर0 सी0 महेश्वरी, — सदस्य
सहायक महानिदेशक (सीएससी),
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

8– श्री इन्द्रजीत सरोज, विधायक, — सदस्य
225, प्रीतम नगर, कबीर मन्दिर के निकट,
इलाहाबाद।

9– श्री बाल चन्द्र मिश्र, — सदस्य
105, म0आ0वर्ग, केश्वनगर,
डब्लू ब्लाक, जूही, कानपुर।

10– डा0 अजय कुमार अवस्थी, — सदस्य
641/2, न्यू रायगंज, सीपरी बाजार, झाँसी

11– श्री अमर सिंह, — सदस्य
ग्राम व पोस्ट– फतेहपुरा, इटावा।

12– श्रीमती मुन्नी राजपूत, — सदस्य
पत्नी श्री अखिलेश सिंह राजपूत, ग्राम–खरौली,
पोस्ट–छिवरामऊ, कन्नौज।

13– डा0 हरि गोविन्द सिंह, ग्राम–पूरे बने भदौरिया, — सदस्य
पोस्ट कोन्हरा, जिला– सल्तानपुर।

14– बाबा राम नाथ यादव, विधायक, — सदस्य
म0न0–517, गाड़ीवान, मैनपुरी।

संख्या–सीएसयूपी/सी–550/बोर्ड–110 दिनांकः जनवरी 29, 2000

महोदय,

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 28.01.2000 को कुलपति महोदय के सभाकक्ष, कानपुर मे सम्पन्न हुई 110वीं बैठक की कार्यवाही की एक प्रति आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

भ व दी य,

(जावेद प्रसाद)
अर्थनियंत्रक एवं सचिव,

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 110वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान : कुलपति महोदय का सभाकक्ष, कानपुर **दिनांक:** 28.01.2000

समय : 11.00 बजे पूर्वान्ह

उपस्थिति :

1.	श्री वी0के0 मल्होत्रा, आई0ए0एस0, आयुक्त, कानपुर मण्डल एवं कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री चनर राम, विशेष सचिव कृषि	कृषि सचिव के प्रतिनिधि
3.	डा0 आर0सी0 महेश्वरी, सहायक महानिदेशक (सीएससी)	सदस्य
4.	श्री इन्द्रजीत सरोज, विधायक	सदस्य
5.	श्री बाल चन्द्र मिश्र, विधायक	सदस्य
6.	श्री अमर सिंह	सदस्य
7.	श्रीमती मुन्नी राजपूत	सदस्य
8.	डा0 हरि गोविन्द सिंह	सदस्य
9.	बाबा राम नाथ यादव, विधायक	सदस्य
10.	श्री जगदेव प्रसाद, अर्थ नियंत्रक	सचिव

मद सं0 1 प्रबन्ध मण्डल की गत दिनांक 11.8.99 को सम्पन्न हुयी 109वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन

प्रबन्ध मण्डल ने 109वीं बैठक दिनांक 11.8.99 की कार्यवाही की पुष्टि की ।

मद सं0 2 प्रबन्ध मण्डल की गत 11.8.99 को सम्पन्न हुयी बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही

प्रबन्ध मण्डल की 109वीं बैठक दिनांक 11.8.99 में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही प्रस्तुत की गयी और निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई और निर्देश दिए गए –

2.10 (पृ0 3) प्रबन्ध मण्डल ने डा0 मोती सिंह के प्रकरण की जांच रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख उ0प्र0 शासन के कृषि विभाग को पत्र संख्या–सीएसयूई–1091 दिनांक 9.9.99 द्वारा भेजे जाने की कार्यवाही को संज्ञान में लिया और यह निर्देश दिया कि यह पुनः सुनिश्चित कर लिया जाए कि समस्त आवश्यक अभिलेख/जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दिए गए हैं । साथ ही शासन से अनुरोध किया जाय कि डा0 मोती सिंह के प्रकरण पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेकर विश्वविद्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णय से अवगत करायें । डा0 मोती सिंह की सम्बद्धता समाप्त करते हुए उद्यान विभाग में पदास्थित करने का निर्णय लिया गया । सम्बद्धता समाप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय ।

2(4) दिनांक 22.1.97 को की गई 3 शिक्षकों/वैज्ञानिकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में माननीय प्रबन्ध मण्डल की 109वीं बैठक के मद सं0 4 द्वारा दिये गये निर्देश के अन्तर्गत प्रकरण की जांच निदेशक प्रशासन द्वारा कर आख्या प्रस्तुत की गई । जाँच आख्या को प्रबन्ध मण्डल ने संज्ञान में लिया और यह पाया कि तीनों शिक्षकों/वैज्ञानिकों के लिए पद थे । अतः श्री विजय कुमार यादव, श्री राम प्यारे एवं श्री लोकेन्द्र सिंह की नियुक्ति ठीक पाई गई । साथ ही प्रबन्ध मण्डल ने 13 सम्बन्धित शिक्षकों/वैज्ञानिकों की सेवाओं में निरन्तरता के सम्बन्ध में विधिक राय से असहमति व्यक्त की तथा यह निर्णय लिया कि इनकी नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल की 8.12.1998 की 108वीं बैठक में अनुमोदन के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी ।

.....2/-

2(6) प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की तिथि के पश्चात् शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को ही "पदनाम" प्रभावी माना जाय तथा प्रबन्ध मण्डल के पूर्व निर्णयानुसार सम्बन्धित शिक्षकों को पदनाम दिया जाय, पर कृत कार्यवाही को संज्ञान में लेते हुए पदनाम सम्बन्धी शर्तों को शिथिल करने हेतु शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया ।

2(23) डा0 राजेन्द्र कुमार के अध्ययन अवकाश सम्बन्धी प्रकरण पर कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए प्रबन्ध मण्डल ने परिनियम चैप्टर- 21 सेक्सन 28 (आर) 5(ii) 6(सी) के प्राविधान के अन्तर्गत डा0 राजेन्द्र कुमार को अध्ययन अवकाश वेतन एवं फेलोशिप के साथ स्वीकृत किया ।

विशेष सचिव कृषि ने भी बताया कि डा0 राजेन्द्र कुमार को विश्वविद्यालय द्वारा संदर्भित अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है । प्रबन्ध मण्डल के पूर्व निर्णयानुसार परिनियम में संशोधन सम्बन्धी कार्यवाही की जाय ।

मद सं0 6 विश्वविद्यालय के लिए अनुपयोगी भूमि के विक्रय का प्रस्ताव पूर्ण औचित्य व कारणों सहित प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने के निर्णय को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल ने लिया ।

मद सं0 8,9, एवं 10 धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी इन प्रकरणों पर माननीय सदस्यों का मत था कि विश्वविद्यालय में नियुक्त स्टाफ की नियुक्ति वि0वि0 के कार्य के लिए की जाती है परन्तु लोग वि0वि0 की सेवा में धारणाधिकार सुरक्षित कराकर दूसरी संस्थाओं की सेवा में चले जाते हैं जिस कारण कार्य बाधित होता है । अतः प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि पिछले एक वर्ष में कितने लोग धारणाधिकार सुरक्षित कराकर बाहर गए की विभागवार जिसमें विभाग में शिक्षकों की संख्या और लियन पर गये शिक्षकों की संख्या तथा उनका प्रतिशत सहित सूचना एकत्र पर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

मद सं0 11 कृत कार्यवाही पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि ज्ञान केन्द्र के रिक्त पदों पर नई नियुक्ति नहीं की जायेगी । इन केन्द्रों के रिक्त पदों को विश्वविद्यालय की आयोजनेत्तर योजनाओं/विभागों में कार्यरत स्टाफ को स्थानान्तरित/डिप्लाय (DEPLOY) करके भरा जाय । प्रबन्ध मण्डल ने पाया कि दिनांक 6.1.98 की बैठक में दिए गए अन्य निर्देश बिन्दु सं0 12 का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया है । इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि - प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा सम्बद्धता समाप्त करते हुए सम्बन्धित को मूल पदों पर पदास्थित कर दिया जाय, उनका वेतन स्थानान्तरित स्थानों से आहरित होगा । यदि विभागाध्यक्ष सम्बन्धत कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं करते हैं तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का वेतन रोक दिया जाय । प्रबन्ध मण्डल के निर्णयों, आदेशों एवं निर्देशों को शिथिल करने का अधिकार प्रबन्ध मण्डल को ही है, अतः कोई भी शिथिलता प्रबन्ध मण्डल ही करेगा ।

निदेशक प्रसार, जोनल कोआर्डिनेटर आई0सी0ए0आर0 एवं बाबा राम नाथ यादव की एक समिति गठित की गयी जिसके संयोजक निदेशक प्रसार होंगे । यह समिति कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि ज्ञान केन्द्रों की कार्य प्रणाली पर अध्ययन कर अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी ।

मद सं0 3 **प्रबन्ध मण्डल द्वारा वित्त उप समिति की दिनांक 23.9.99 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन**

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की दिनांक 23.9.99 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए-

मद सं0 3.2 विश्वविद्यालय में नियमित परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की छपाई हेतु वर्तमान व्यवस्था (गोपनीय प्रेस से) ही लागू रहेगी तथा अनुदान हेतु शासन से अनुरोध किया जाय । भविष्य में आवश्यकतानुसार प्रस्ताव विद्वत परिषद के माध्यम से लाये जाने के निर्देश दिए गए ।

मद सं0 3.3 प्रबन्ध मण्डल ने कार्यवृत्त अनुमोदित किया ।

मद सं0 3.4 विश्वविद्यालय के आन्तरित शिक्षकों/परीक्षकों को परीक्षा पारिश्रमिक न दिए जाने की वित्त उप समिति की अनुशंसा का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया ।

.....3/-

मद सं 3.5 डा0 एस0बी0सिंह, सह–प्राध्यापक, पादप रोग निदान विभाग, कृषि कालेज, कानपुर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स हेतु विदेश यात्रा पर हुए व्यय की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया और यह निर्णय लिया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विदेश यात्रा पर हुए व्यय का भुगतान कर दिया जाय ।

मद सं0 3.6 डा0 मुनीश गंगवार, सहायक प्राध्यापक (एग्रोफारेस्ट्री) द्वारा कान्फ्रेंस हेतु विदेश यात्रा पर हुए व्यय की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया और यह निर्णय लिया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विदेश यात्रा पर हुए व्यय का भुगतान कर दिया जाय ।

मद सं0 3.7 **चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मथुरा** प्रांगण पर दुग्ध की विक्रय दरों के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरान्त कानपुर एवं मथुरा प्रांगण हेतु दूध के मूल्यों की निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू करने का निर्णय लिया

	पुनरीक्षित दर (प्र0ली0)
1– भैंस का दूध (स्टाफ के लिए)	रु0 14.00
2– गाय का दूध (स्टाफ के लिए)	रु0 12.00
3– गाय का दूध (छात्रों के लिए)	रु0 8.00

प्रबन्ध मण्डल ने भविष्य में दूध के मूल्यों की पुनरीक्षित दरों में बाजार मूल्य से रु0 2/– कम करके दरें संशोधन करने हेतु अर्थ नियंत्रक को अधिकृत किया ।

मद सं0 3.8 मिनी बस द्वारा स्टाफ को झाँसी से भरारी तथा कानपुर से दिलीपनगर आने जाने के किराया शुल्क की दरों में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा पर अनुमोदन किया । साथ ही यह भी निर्देश दिया कि मिनी बस के किराये की वृद्धि के सम्बन्ध में समय–समय पर पेट्रोल–डीजल के मूल्यों पर वृद्धि के आधार पर प्रशासनिक स्तर पर अर्थ नियंत्रक अन्तिम रुप दे दें ।

मद सं0 3.9 डा0 वी0एन0मौर्या, सह–प्राध्यापक के स्वंय की चिकित्सा कराने में यात्रा भत्ता व्यय रु0 4199.90 के भुगतान की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा अनुमोदित किया तथा निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे प्रकरण न लाए जाएं जो नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जा सकते हैं ।

मद सं0 3.10(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त उप समिति की संस्तुति को अनुमोदित नहीं किया ।

मद सं0 4 विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्यालय सचिवों/आशुलिपिकों को पन्तनगर, कृषि विश्वविद्यालय की भाँति शासन की समता समिति की संस्तुतियों के अनुरुप वेतनमानों को अनुमन्य कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार

संदर्भित प्रकरण पर विशेष सचिव कृषि ने बताया कि इस विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय सचिवों/आशुलिपिकों को पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय की भाँति दिनांक 1.1.86 से अधिकारियों के वर्गीकरण के आधार पर वेतनमान प्रदान करने के प्रकरण को वित्त विभाग ने अस्वीकृत कर दिया है । साथ ही पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में लागू वेतनमान को समाप्त करने तथा लिए गए भुगतान की वसूली करने के निर्देश प्रदान किये हैं ।

.....4/–

अतः प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि शासन के अनुमोदन के बिना कार्यालय सचिवों/आशुलिपिकों को कोई वेतनमान स्वीकृत न किया जाय । यदि इन्हें पूर्व में कोई वेतनमान शासन की स्वीकृति के बिना दे दिया गया है तो उसे समाप्त करते हुए वसूली की कार्यवाही की जाय ।

मद सं0 5 डा0 श्रीमती ऊषा बाजपेयी, ट्रान्सलेटर–कम–एडीटर/सहायक प्राध्यापक कृषि प्रसार विभाग की पदोन्नति सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकरण पर निस्तारण/विचारार्थ प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह पाया कि सम्पूर्ण तथ्य एजेन्डा में नहीं आ पाए हैं । अतः इस प्रकरण पर समस्त तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।

मद सं0 6 डा0 नोसिम अख्तर, सहायक आचार्य, एल0पी0एम0विभाग, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के त्यागपत्र दिनांक 16.8.99 से स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 नोसिम अख्तर, सहायक आचार्य एलपीएम विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के त्यागपत्र को दिनांक 16.8.99 से नियमानुसार स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया तथा यह निर्देश दिया कि एक माह के वेतन की वसूली डा0 अख्तर के पावनों से कर ली जाय ।

मद सं0 7 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार**

7.1 वित्तीय वर्ष 1999–2000 में विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर विचार

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय की वर्ष 1999–2000 की वित्तीय स्थिति पर विचार किया तथा पाया कि वित्तीय स्थिति असंतुलित है । शासन से स्वीकृत धनराशि मांग के अनुरुप न होने के कारण विश्वविद्यालय के सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं । शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नियमित वेतन का भुगतान शासन से अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को दैनिक वेतन का भुगतान धनाभाव एवं स्वीकृत धनराशि तक व्यय हो चुकने के कारण नहीं हो पा रहा है । वस्तु स्थिति से अवगत होने पर प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित निर्देश दिए :–

(1) नान–प्लान योजनाओं/विभागों के शिक्षणेत्तर/शिक्षक वर्ग के पदों पर कार्यरत स्टाफ को प्लान/स्टेट प्लान/आईसीएआर/अन्य तदर्थ योजनाओं में रिक्त पदों पर स्थानान्तरित कर दिया जाय ।
(2) परीक्षा पर होने वाले व्यय के बराबर प्राप्तियों की व्यवस्था की जाय । इसके लिए परीक्षा शुल्क में तत्काल वृद्धि की जाय । परीक्षा व्यय की अपेक्षा प्राप्तियां कम न हों ।
(3) विभागाध्यक्ष व्यय आवश्यक, सही एवं नियमों के अन्तर्गत ही करें । यह उनकी जिम्मेदारी होगी ।
(4) दैनिक/नियमित कर्मचारी जिस फसल (CROP) में कार्य नहीं है उन्हें दूसरे विभाग/स्थान पर जहां कार्य है स्थानान्तरित कर दिया जाय ।
(5) विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य बाहरी संस्थाओं से न कराकर विश्वविद्यालय द्वारा कराये जायं ।
(6) व्यय में मितव्ययता की जाय, आय के श्रोतों में वृद्धि की जाय तथा शासन से धनराशि की मांग की जाय ।

7.2 कृषि अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 893/12–8–98–400(100)/98 दिनांक 4.9.98 द्वारा महानिदेशक, उपकार की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या पर विचार

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक करके महानिदेशक उपकार की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

.....5/–

7.3 डा0 तिलक सिंह यादव, प्रशासनिक अधिकारी की बी0एस–सी0 एवं एम0एस–सी0 की फर्जी डिग्री होने के कारण उनकी सेवायें समाप्त किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

डा0 तिलक सिंह यादव, प्रशासनिक अधिकारी (निलम्बित) की जॉच आख्या पर प्रबन्ध मण्डल ने विचार किया । श्री अजय शंकर, आई0ए0एस0, आयुक्त एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या, शासन के विशेष सचिव के अ0शा0पत्र सं0 2599/12–8–99–400(180)/94 दिनांक 29.10.99 तथा डा0 तिलक सिंह, निलम्बित प्रशासनिक अधिकारी के पत्र दिनांक 27.01.2000 को प्रबन्ध मण्डल ने संज्ञान में लिया । डा0 तिलक सिंह ने अपने पत्र दिनांक 27.01.2000 के साथ कोई स्थगन आदेश की प्रतिलिपि नहीं उपलब्ध कराई है केवल यह लिखा है कि विशेष सचिव के पत्र दिनांक 29.10.1999 के विरुद्ध उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में रिट याचिका सं0 138/2000 प्रस्तुत की है जिसे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने दिनांक 27.01.2000 को स्वीकार कर लिया है अतः विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल दिनांक 28.01.2000 की बैठक में इस विषय में कोई निर्णय न ले । चूँकि डा0 तिलक सिंह ने अपने पत्र दिनांक 27.01.2000 के साथ कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है अतः डा0 तिलक सिंह का अनुरोध स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया :

(1) जॉच अधिकारी ने आरोप श्री तिलक सिंह को दिये । उसका जवाब श्री तिलक सिंह ने दिया और अपने प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतियॉ जवाब में संलग्न की ।

(2) उक्त फोटो–प्रतियॉ कुलपति तथा कुलसचिव स्तर से सत्यापित करने पर फर्जी पाई गई ।

सम्पूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेतु हुए विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने डा0 तिलक सिंह यादव, निलम्बित प्रशासनिक अधिकारी की सेवायं समापत (DISMISS) करने का निर्णय लिया ।

यह बात भी प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में लाई गयी कि डा0 तिलक सिंह अपनी व्यक्तिगत पत्रावली भी उठा ले गए हैं । अतः प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध में एक पूरक एफ0आई0आर0 थाने में दर्ज करा दी जाय ।

7.6 विज्ञापन सं0 1/92 द्वारा विज्ञापित पदों में से सह प्रशिक्षण एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक (फसल सुरक्षा) के पदों पर नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय एवं महामहिम कुलाधिपति के निर्देशों के अनुपालन में चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों का बन्द लिफाफा खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल ने संज्ञान में लिया । शासन द्वारा नई नियुक्तियों पर रोक लगी है तथा विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है जिस कारण विश्वविद्यालय कार्यरत स्टाफ को ही वेतन नहीं दे पा रहा है । प्रकरण पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि लिफाफा न खोला जाय, संदर्भित पद को स्थानान्तरण/डिप्लायमेन्ट के माध्यम से भर दिया जाय ।

7.7 मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में शोध कार्यो के लिए अतिरिक्त श्रोतों से आय प्राप्त करने सम्बन्धी प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ प्रस्ताव

संदर्भित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने का निर्णय लिया ।

7.8 डा0 बापी पहार, सहायक आचार्य, जीवाणु विज्ञान विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा का त्यागपत्र दिनांक 01.06.99 से स्वीकृत किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 बापी पहार का त्यागपत्र दिनांक 01.06.99 से स्वीकृत करने का निर्णय लिया तथा निर्देश दिया कि डा0 बापी पहार से एक माह का वेतन ले लिया जाय ।

.....6/–

बैठक के अन्त में प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिए गए अन्य निर्देश :

(1) प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में आया कि कृषि इंजीनियरिंग कालेज, इटावा में कोई नियंत्रण अधिकारी अथवा डीन नियुक्त न होने से कालेज के शिक्षण एवं दिन-प्रतिदिन के कार्य प्रभावित हो रहे हैं । इटावा कालेज हेतु इंजीनियरिंग विषय का एक नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है । प्रकरण पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि श्री टी0सी0 मिश्रा, अनुसंधान अभियन्ता को कृषि इंजीनियरिंग कालेज, इटावा में ही नियुक्त किया जावे । श्री टी0सी0 मिश्रा इटावा में ही रहेंगे । कुलपति की पूर्व अनुमति पर ही इटावा से बाहर जायेगें । इस पर सदस्यो ने बल दिया।

(2) प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में आया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धनाभाव के कारण भुगतान नहीं मिल पा रहा है तथा संख्या भी काफी बढ़ गयी है । इस प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि श्रम अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षण करा लिया जाय तथा श्रम विभाग से प्राप्त राय के अनुसार ही कार्यवाही की जाय ।

(3) विभागवार/अनुभागवार कार्य की त्रैमासिक प्रगति की आख्या प्राप्त कर प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय । विभागाध्यक्ष/निदेशक प्रगति आख्या तथा विभाग की योजना प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

(4) प्रबन्ध मण्डलके संज्ञान में आया कि डा0 चन्द्रभान की नियुक्ति राज्य सरकार के नान-यूजीसी वेतनमान 1250-2050 उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) के पद पर की गयी थी तथा यह नियुक्ति की तिथि से आज तक उसी पद का कार्य सम्पादित कर रहे हैं । इनकी नियुक्ति का पद एवं कार्य प्राध्यापक का नहीं है फिर भी डा0 चन्द्रभान प्राध्यापक का यूजीसी वेतनमान ले रहे हैं । इस प्रकरण पर स्थानीय निधि लेखा द्वारा आपत्ति भी की गई है । इस प्रकरण के सम्बन्ध में सम्पूर्ण स्थिति प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

(5) विश्वविद्यालय के बीज एवं प्रक्षेत्र में गत 5 वर्षो में लगभग 7.50 करोड़ रुपये का घाटा आया है । प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध में गत 5 वर्षो का विस्तृत विवरण तथा प्रक्षेत्र वार मदवार आय एवं व्यय का विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय । साथ ही इसका डिटेल आडिट कराया जाय । उप निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) डा0 चन्द्रभार अगली बैठक में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें । भविष्य में प्रक्षेत्रों की आय एवं व्यय की सूचना प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को भी भेज दी जाया करें ।

(6) प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में आया कि विश्वविद्यालय के कानपुर एवं मथुरा प्रांगण की डेरियों की आय कम और व्यय बहुत ही अधिक है, यहां का प्रबन्धन सही नहीं है, पोल्ट्री समाप्त हो गई है तथा अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है । इस प्रकरण पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निम्न निर्देश दिए :-

(क) विश्वविद्यालय के कानपुर एवं मथुरा की डेरियों का गत पांच वर्षो का विस्तृत विवरण जिसमें मुख्य रुप से कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितने जानवर हैं, कितने जानवरों का उत्पादन हुआ, कितना चारा खिलाया गया, कितना दूध का उत्पादन हुआ, डेरी के प्रक्षेत्र से कितनी आय हुई तथा कितना चारा उत्पादन हुआ, चारा कहां भेजा गया आदि का समावेश हो, प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

(ख) भदावरी एवं सहीवाल के सम्बन्ध में कितना धन व्यय हुआ, इनके ब्रीड की स्थिति एवं आय सहित सम्पूर्ण विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

(ग) मैनेजमेन्ट सही नहीं है तो उसे हटा दिया जाय ।

(घ) पोल्ट्री फार्म समाप्त हो गया है इस सम्बन्ध में विस्तुत विवरण तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है की सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

(च) डेरी में व्यय अधिक एवं आय कम होने के लिए कौन जिम्मेदार है की सूचना प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

(छ) उपरोक्त प्रकरणों एवं कार्यो से सम्बन्धित (बिन्दु क से च तक) अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त टाइम बाउन्ड कमेटी बना दी जाय ।

.....7/-

(7) प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में आया कि श्रीमती रंजना सिंह, जो डा0 चन्द्रभान, निदेशक (बीज एवं पक्षेत्र) की पुत्री हैं, गत लगभग 10 वर्षों से दिल्ली में रह रही हैं तथा इनको विश्वविद्यालय द्वारा बिना कार्य के वेतन का भुगतान किया जा रहा है । इस प्रकरण की टाइम बाउन्ड कमेटी गठित कर जांच करा ली जाय तथा जांच रिपोर्ट हर दशा में प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

अन्त में बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई ।

(वी0 के0 मल्होत्रा)
मण्डलायुक्त/कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

(जगदेव प्रसाद)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल